Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में पुलिस थाना विधाधरनगर के सहायक उपनिरीक्षक पुलिस एवं उसके दलाल को 1 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 फरवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की एस.आई.डब्ल्यू. इकाई द्वारा आज गुरूवार को जयपुर में थाना विधाधरनगर पर कार्यवाही करते हुये सहायक उपनिरीक्षक पुलिस राधेश्याम को उसके दलाल मधुसूदन शर्मा के मार्फत 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की मुख्यालय स्थित एस.आई.डब्ल्यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध पुलिस थाना विधाधरनगर, जयपुर शहर उत्तर में दर्ज प्रकरण से नाम हटाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी राधेश्याम सहायक उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा अपने दलाल मधुसूदन शर्मा के मार्फत 5 लाख रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की एस.आई.डब्ल्यू. इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव नैन** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा जयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **राधेश्याम पुत्र श्री मातादीन** यादव निवासी ग्राम पडावा, त. मुंडावर, जिला अलवर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना विधाधरनगर को उनके दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) **मधुसूदन शर्मा पुत्र श्री विद्याप्रकाश शर्मा** निवासी ई–348, बैंक कालोनी, मुरलीपुरा, जयपुर के मार्फत 1 लाख रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।